आयोजनेत्तर – अनुदान संख्या–79
13 अंकों का कोड–2225030010300
अधिष्ठान व्यय हेतु आबंटन 2017–18

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/,
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी (बांदा एवं अलीगढ़),
अलीगढ़ एवं चित्रकूट मण्डल।

पत्रांक/003–मण्डल/951/पि0व0क0/अधि0आवं0/2017–18 लखनऊःदिनांकः 09 अगस्त जुलाई, 2017

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 79 के लेखाशीर्षकः '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–आयोजनेत्तर–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–001–निदेशन तथा प्रशासन– 03–मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान' मदों के व्यय के लिये लेखानुदान अवधि हेतु मण्डलीय कार्यालय अलीगढ़ एवं चित्रकूट को धनराशि का आवंटन।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में अधिष्ठान मद में शासन के आदेश संख्या–02/2017/115/64–2–2017–1(01)/2017 दिनांक 12 अंप्रैल, 2017 द्वारा निदेशालय के अधिष्ठान मद में चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–79 के अन्तर्गत लेखानुदान अवधि हेतु अन्तरिम आवश्यक धनराशि के सापेक्ष रू0 7,35,63,000.00 (रू0 सात करोड़ पैंतीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से संलग्न विवरण के अनुसार मण्डलीय कार्यालयों के व्यय हेतु रू0 3,18,000.00 (रूपया तीन लाख अठठारह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवम् प्रतिबन्धों के अधीन आबंटित की जाती हैः–

1– स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–01/2017/बी–1–02/दस–2017–231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या–संख्या–03/2017/बी–1–248/दस–2017–231/2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में दी गयी शर्तों/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–79 के लेखाशीर्षक '2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–आयोजनेत्तर–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण– 001– निदेशन तथा प्रशासन–03– मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालय' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3– आबंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। 49–चिकित्सा व्यय मद की धनराशि का आहरण वेतनादि (01,03,06) की मदों से अग्रिम आदेशों तक न किया जाय।

4– आबंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त–पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।

5– समय–समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता किये जाने के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या : 2163/10सचि0/(1)/91, दिनांक 10–12–1991 में उल्लिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये। कृपया इन मदों में बचत एवं उपभोग की सूचना यथासमय उपलब्ध कराना होगा।

6— कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, बी0एम0—8 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। इस विवरण में कोषागार बाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

7— आहरण वितरण अधिकारी को अगली बार बजट तभी आवंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0—8 में सूचना प्राप्त हो जायेगी।

8— आबंटित धनराशि का व्यय आपके कार्यालय में स्वीकृत कर्मियों की संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।

9— यदि बी0एम0—8 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई घटना होने पर संबंधित आहरण—वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

10— यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण—पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

11— एक बार धनराशि समर्पित कर दिये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जा सकेगा। समर्पण के बाद बिना अनुमति के यदि कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है, तो इसके लिए आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।

12— कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखाजोखा रखना अनिवार्य होगा।

13— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही सम्पूर्ण, मुख्य, उप—मुख्य, लघु एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में अंकन में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से 'आयोजनेत्तर' शब्द अवश्य अंकित किया जाय, जिसके लिए रबड़ की मोहर अधिक श्रेयस्कर होगी।

14— बजट की किसी ऐसी प्राथमिक इकाई या लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाय, जिसके लिए बजट में प्राविधान नहीं है।

15— व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथियों तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
   1— मासिक व्यय विवरण आगामी माह की दस तारीख तक।
   2— प्रारम्भिक/व्ययाधिक्य तथा बचत का विवरण दिनांक 15.10.2017 तक।
   3— व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15.12.2017 तक।
   4— वर्ष 2017—18 में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव दिनांक 15.01.2018 तक।
   5— वर्ष 2017—18 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 15.02.2018 तक।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 02 पर अंकित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

09.08.17

(अमित कुमार घोष)
निदेशक

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

पृ0सं0: 003—मण्डल / 951 /पि0व0क0/अधि0आवं0/2017—18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0—2
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अलीगढ़, एवं चित्रकूट।

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-08/08/2017

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:- 003-MANDAL
अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2225 - अंनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
001 - निदेशन तथा प्रशासन
03 - मुख्यालय/मंडलीय/जिला कार्यालय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	र
1	अलीगढ-4702-जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	0 464400	0 18600	0 10000	0 3000	0 28000	10000 20000	5000 9000	[illegible] 55
2	बांदा -4702-जिला पिछडां वर्ग कल्याण अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	250000 446000	10000 17800	10000 10000	3000 3000	15000 26800	10000 20000	5000 9000	30 53
	योग	वर्तमान प्रगामी	250000 910400	10000 36400	10000 20000	3000 6000	15000 54800	20000 40000	10000 18000	31 10

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन लाख अठारह हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस लाख पंचासी हजार छ: सौ

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी